

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// अधिसूचना //

10 MAY 2013

रायपुर, दिनांक 09 मई, 2013

क्रमांक एफ 4 -108 / सात-1 / 2012 छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960(क्रमांक 20 सन् 1960) की धारा 3 के खण्ड (ज) सहपठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, के नियम 2 के खण्ड (34-क) के अन्तर्गत परिभाषित 'एकीकृत उपनगर ' के विकास के प्रयोजनों हेतु 'धारित भूमि ' को, छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत छुट प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

३२
१०१५
(पी.निहालानी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
रायपुर, दिनांक मई, 2013
१० MAY 2013

- 1/ विशेष सहायक , माननीय राजस्व मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, नया रायपुर ।
 - 2/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
 - 3/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को उनकी टीप जावक क्रमांक 2927 दिनांक 26.10.2012
 - 4/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर
 - 5/ अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, की ओर मंत्रिपरिषद आदेश (आयटम क्रमांक 66.13 दिनांक 22.10.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
 - 6/ सचिव, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर
 - 7/ आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर
 - 8/ समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
 - 9/ समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

- 10/ संयुक्त संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, रायपुर छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन बावत ।
- ✓ 11/ राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर कृपया उक्त अधिसूचना को राजस्व विभाग के वेबसायट में लोड किए जाने हेतु ।
- 12/ गार्ड फाइल हेतु ।

संयुक्त संचिव
छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
११५

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
REVENUE & DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT
MANTRALYA
MAHANADI BHAWAN, NAYA RAIPUR
//NOTIFICATION//**

10 MAY 2013

Raipur Dated 9-5-2013

No. F.4 - 108 /Secten-1/2012 In exercise of the powers conferred by clause (h) of Section 3 read with Section 50 of the Chhattisgarh Ceiling on Agriculture Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960), the State Government, hereby, grants exemption to 'land holdings' for the purpose of development of ' integrated township' as defined under clause (34-A) of Rule 2 of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, from the operation of the Chhattisgarh Ceiling on Agriculture Holdings Act, 1960.

by order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(P.Nihalani)

Joint Secretary

Government of Chhattisgarh


Revenue & Disaster Manegment Department

9/5/13